

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
55/24	188 RTA	कलमण्डा	बारां
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
लेखराज वर्गै०	बनाम	नेमीचन्द वर्गै०	
वकील :-	श्री धर्मेन्द्र सिंह सोलंकी	आदेश पत्रक	वकील:-

कार्यवाही एवं आदेश

29.05.2024 अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी के न्याया० में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जर्जे सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 11.07.2024 को पेश हो

[Signature]
23.5.24

11-7-24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर प्रतिवादी ७३५-१३३ की ओर है श्री धर्मेन्द्र सुभाष लेखारी एस. एन. तलवलाह माफा पेवा हुआ ५३० दिनांक ५-७-२४ पत्रावली वाद जबाब दिनांक २९-७-२४ को पेश है।

29-7-24 न्यायालय अधिकारी न्यायालय में जर्जे से पूर्ववत दिनांक ५-७-२४ को प्रस्तुत की।
[Signature]
उप खण्ड अधिकारी बारां

5-9-24 पत्रावली आज पेवा हुई। पत्रावली फरीलेन उपर वकील प्रतिवादी जबाब है सज्ज चार्ज है पत्रावली वाद जबाब दिनांक २९-१०-२४ को पेश है।

29/10/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर नहीं। (वादी वादी) भी उपस्थित नहीं। वकील वादी को जर्जे वाद आवान लगवते गरी। बाबपूठ भूगना के वकील वादी/वादी अन्यायालय के उपस्थित नहीं है। अह. वादी वाद वाद इस घण्टे इस पत्रे के बाबिद जिया पारा है पत्रावली फेरल सुभाष लेखर बास गरील एकील के साबिल फेरल है।

[Signature]